



## राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(1)RajMES/Estt./Faculty/Recruitment/2019/

दिनांक

-: आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश सं० 360 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा राजमेस के अधीन संचालित मेडिकल कालेजों में विभिन्न पदों पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों को कार्यालय आदेश सं० 453 दिनांक 23.02.2021 कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 4.3.2021 तक अभिवृद्धि प्रदान की गई थी। इस क्रम में चिकित्सक शिक्षकों की कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 14.03.2021 तक की अभिवृद्धि की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक अन्तिम तिथि अर्थात् 14.3.2021 तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में चयनित चिकित्सक शिक्षक को अवसर प्रदान किया जावेगा।

501-  
निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी  
जयपुर

क्रमांक : F1(1)RajMES/Estt./Faculty/Recruitment/2019/ 556

दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज, राजमेस।
3. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा ई-मेल ।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,  
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी  
जयपुर